रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255079
CG-DL-E-02072024-255079

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2394] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946
No. 2394] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2024

का.आ. 2524(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान संबंधित दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाता है तथा लाभार्थियों को सुविधाजनक एवं निर्बाध तरीके से सीधे अपना अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और 'आधार' किसी व्यक्ति को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को भी समाप्त करता है;

और केंद्रीय सरकार उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात 'स्कीम' कहा गया है) को लागू करने का प्रस्ताव करती है, जिसका मूल उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, विद्यमान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का क्षमता निर्माण करना और देश में उद्यमिता पद्धति को आत्मसात कराने के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं, पुरुष एवं महिलाओं दोनों को स्वरोजगार या उद्यमिता को कैरियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रेरित करना है।

और इस स्कीम को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विनिर्दिष्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास कार्यालयों (एमएसएमई-डीएफओ) सहित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लागू करने का प्रस्ताव किया जाता है;

और इस स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से किया जाने वाला आवर्ती व्यय शामिल है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात :-

(i) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा अथवा आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा;

(ii) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार) जा सकता है;

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियां उन लाभार्थियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगी जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो कार्यान्वयन एजेंसियां, आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 21 के अंतर्गत कार्य करते हुए यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेंगी और इस प्रयोजनार्थ यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करेंगी।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. ईएसडीपीऑनलाइनट्रेनिंगरजिस्ट्रेशनपोर्टल/2023-24]

डॉ. राजनीश, अपर सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2024

S.O. 2524(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Central Government proposes to implement the Entrepreneurship and Skill Development Programme (ESDP) Scheme (hereinafter in this notification referred to as 'the Scheme') which is aimed at motivating young persons, both men and women, representing different sections of the society, including Schedule Castes, Scheduled Tribes, women, physically handicapped, ex-Servicemen, and persons below poverty line to consider self-employment or entrepreneurship as one of the career options, with the ultimate objective to promote new enterprises, build capacity of existing Micro, Small and Medium Enterprises and inculcate entrepreneurial culture in the country;

And whereas, the Scheme is proposed to be implemented in accordance with the guidelines issued by the Central Government through various Implementing Agencies, including Micro, Small and Medium Enterprises-Development and Facilitation Offices (MSME-DFOs) specified therein;

And whereas, implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), read with regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Central Government hereby notifies the following, namely: -

(i) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(ii) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment and in case such person is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [as per the list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar;

(iii) the Implementing Agencies shall offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves by applying under regulation 21 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 and contact Regional Offices of UIDAI for the said purpose.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories.

[F. No. ESDPONLINETRAININGREGISTRATIONPORTAL/2023-24]

Dr. RAJNEESH, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA